

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] No. 148] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2017/चैत्र 29, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2017/CHAITRA 29, 1939

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2017

सं. एल-1/18/2010-केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के साथ पठित धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन प्रदत्त शिक्तयों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) जिसमें इसके प्रथम से चतुर्थ संशोधन सिमलित हैं, का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (पाँचवा संशोधन) विनियम, 2017 है,
- (2) ये विनियम 1 मई, 2017 से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियमों के सामान्य भाग में विनियम 2 का संशोधन

- (1) मूल विनियम के सामान्य भाग के विनियम 2(1)(धधध) में, 'स्पीनिंग रिजर्व' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-
 - (धधध) स्पीनिंग रिजर्वः ''ऐसी क्षमताएं अभिप्रेत हैं जो उत्पादन केन्द्र या ग्रिड के लिए सिंक्रोनाइज की गई उसकी यूनिटों सहित युक्तियों द्वारा प्रदान की गई हैं और जिसे सिस्टम ऑपरेटर के निर्देश पर सक्रिय किया जा सकता है और जो सक्रिय ऊर्जा में परिवर्तन को प्रभावित करती हैं।''
- (2) मूल विनियम के सामान्य भाग के विनियम 2(2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:-
 - "इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, और जो इसमें परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम या आयोग के अन्य सुसंगत विनियमों में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम या आयोग के सुसंगत विनियमों में है।"

2608 GI/2017 (1)

3. मूल विनियम के भाग 1 में संशोधनः मूल विनियम के भाग 1 के विनियम 1.4 (v) के अंत में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगाः

'इस खंड में उत्पादन केन्द्रों, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र, पावर एक्सचेंजों, राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा अन्य संबंधित उपयोगकर्ताओं के बीच अनध्यपेक्षित अतिशेष ऊर्जा का उपयोग करने तथा जानकारी आदान—प्रदान करने की प्रक्रिया के साथ स्पिनिंग रिजर्व के प्रचालन के लिए आनुषंगिक रिजर्व सेवाओं के प्रचालन हेतु आईएसजीएस ऊर्जा के अनुसूचीकरण तथा प्रेषण भी सम्मिलित हैं।''

4. मूल विनियम के भाग 2 में संशोधनः

- (1) मूल विनियम के भाग 1 में विनियम 2.2.2(i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-
 - "(झ) एनएलडीसी सामूहिक संव्यहारों एवं स्पीनिंग रिजर्व सिहत सहायक सेवाओं के लिए नोडल एजेंसी होगी।"
- (2) मूल विनियम के भाग 2 के विनियम 2.2.2(ii) के पश्चात्, निम्नलिखित के कार्यान्वयन विनियम 2.2.2(iii) में जोड़ा जाएगा: -
 - "(iii) आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विस्तृत प्रक्रिया और विनियमों के अनुसार अन्तरराज्यिक स्तर पर आनुषंगिक सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए अनध्यपेक्षित विद्युत का प्रज्ञावान उपयोग और स्पीनिंग रिजर्व की पहचान और प्रचालन के लिए आईएसजीएस, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्रों और प्रादेशिक विद्युत समितियों के साथ समन्वयन।"
- (3) मूल विनियम के भाग 1 के विनियम 2.3.2(छ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :
 - "(छ) आनुषंगिक सेवाओं, जिसमें स्पिनिंग रिजर्व भी है, का प्रचालन।"
- (4) मूल विनियम के भाग 2 के विनियम 2.4.2(ज) के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम 2.4.2(झ)(ञ) जोड़ा जाएगा:
 - "(झ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आनुषंगिक सेवा प्रचालन) विनियम, 2015 के अधीन यथा आज्ञापक कृत्यों को निष्पादित करना।
 - (ञ) आनुषंगिक सेवा प्रचालन जिसमें स्पीनिंग रिजर्व भी है, के अधीन संव्यवहारित ऊर्जा के लेखाओं को बनाए रखना।''

5. मूल विनियम के भाग 5 में संशोधन:

- (1) मूल विनियम के भाग 5 के विनियम 5.2(च) में, "200 मेगावाट और उससे अधिक के सभी धर्मल उत्पादन यूनिटों और 10 मेगावाट और अधिक के सभी हाइड्रो यूनिट" शब्दों के स्थान पर "200 मेगावाट और उससे अधिक के सभी कोयला/लिग्नाइट आधारित थर्मल उत्पादन यूनिटों, प्रत्येक 50 मेगावाट से अधिक क्षमता के गैस टर्बाइन वाले ओपन साइकिल गैस टर्बाइन/समन्वित साइकल उत्पादन केन्द्रों तथा 25 मेगावाट और उससे अधिक के सभी हाइड्रो यूनिट" शब्द रखे जाएंगे।"
- (2) मूल विनियम के भाग 5 के विनियम 5.2(च)(झ)(क) में, ''थर्मल उत्पादन यूनिटों'' शब्दों के स्थान पर, ''कोयला / लिग्नाइट आधारित थर्मल उत्पादन यूनिट'' शब्द रखे जाएंगे।"
- (3) मूल विनियम के भाग 5 के विनियम 5.2(च)(झ)(ख) में, ''10 मेगावाट'' अंक और शब्द के स्थान पर, ''25 मेगावाट'' अंक तथा शब्द रखे जाएंगे।''
- (4) मूल विनियम के भाग 5 के विनियम 5.2(च)(झ)(ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा: "(ग) प्रत्येक 50 मेगावाट से अधिक की क्षमता के गैस टर्बाइन वाले ओपन साइकिल गैस टर्बाइन / समन्वित साइकिल उत्पादन केन्द्र : 1.10.2017 से"
- (5) मूल विनियम के भाग 5 के विनियम 5.2(च)(ii)(क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:-
 - "(क) 50.00 एचजेड से कम के स्तर तक ग्रिड फ्रिक्वेंसी में सुधार के मामले में उत्पादन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। (उदाहरण के लिए, यदि ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.9 से 49.95 एचजेड में या 49.95 से

49.99 एचजेड में परिवर्तित होती है तो उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी)। ग्रिड फ्रिक्वेंसी में किसी गिरावट के लिए यूनिट से उत्पादन मशीन क्षमता से संबंध वाले यूनिट के एमसीआर की 105 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अध्यधीन उत्पादन के अधिकतम 5 प्रतिशत तक उत्पादक झुकाव के अनुसार वृद्धि होनी चाहिए।"

- मूल विनियम के भाग 5 के विनियम में 5.2(च)(iii) में, ''गैस टर्बाइन/समन्वित साइकिल पावर संयंत्र'' (6) शब्दों को हटाया जाएगा।
- (7) मूल विनियम के भाग 5 के विनियम 5.2(ज) के प्रथम वाक्य के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

"200 मेगावाट और उससे अधिक के सभी कोयला/िलग्नाइट आधारित थर्मल उत्पादन यूनिट, प्रत्येक 50 मेगावाट से अधिक के गैस टर्बाइन वाले ओपन साइकिल गैस टर्बाइन/समन्वित साइकिल उत्पादन केन्द्रों तथा 25 मेगावाट और अधिक के प्रचालन वाले सभी युनिटों की, जो अधिकतम सतत रेटिंग के 100 प्रतिशत तक प्रचालन में है उनकी एमसीआर की फ्रिक्वेंसी आकस्मिक रूप से कम हो जाने पर क्रमशः 105 प्रतिशत, 105 प्रतिशत और 110 प्रतिशत तक तत्क्षण पिकिंग अप (''उसे किसी भी रूप से रोका नहीं जाएगा") की क्षमता होगी जब फ्रिक्वेंसी आकस्मिक रूप से कम हो जाती है।"

मूल विनियम के भाग 5 के विनियम 5.2 (ज) के अंत में, निम्नलिखित जोडा जाएगा: (8)

"प्राथमिक प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आरएलडीसी/एसएलडीसी उत्पादन केन्द्र या उसके यूनिटों की संस्थापित क्षमता के 100 प्रतिशत के तदनुरूपी एक्स बस उत्पादन के आगे उत्पादन केन्द्र (युनिटों) को अनुसूचित नहीं करेंगे। उत्पादन केन्द्र युनिटों के वाल्व-वाइड ओपन प्रचालन का सहारा नहीं लगा भले ही वे पूर्ण भार या आंशिक भार पर चल रहे हों, और यह सुनिश्चित करेगा कि प्राथमिक प्रत्युत्तर के रूप में गवर्नर कार्रवाई प्रदान करने के लिए मार्जिन उपलब्ध है। गैस/लिक्विड ईंधन आधारित यूनिटों के मामले में, संस्थापित क्षमता में उपयुक्त समायोजन स्थानिक परिवेशी एमबीएंट स्थितियों की तुलना में, जिसमें उत्पादन केन्द्र या उसके यूनिट (यूनिटों) की संस्थापित क्षमता को विनिर्दिष्ट किया गया है, भी तापमान और दाब की प्रचलित परिवेशी स्थितियों पर विचार करने के लिए अनुसूचीकरण के लिए आरएलडीसी/एसएलडीसी द्वारा किया जाना चाहिए:

परन्तु यह कि हाइड्रो केन्द्रों का अनुसूचीकरण रिसाव से बचने के उद्देश्य से उच्च अंतर्प्रवाह अवधि के दौरान कम नहीं होगाः

परन्तु यह और कि वीडब्ल्यूओ मार्जिन अनुसूचित आनुषंगिक सेवाओं के लिए आरएलडीसी द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।"

(9) मूल विनियम के भाग 5.2 (छ) के अंत में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:

"परन्तु यह कि तीसरे पक्षकार द्वारा आवधिक जांच, यथास्थिति, आरएलडीसी या एसएलडीसी द्वारा चयनित स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से 2 वर्षों में एक बार नियमित अंतराल पर की जानी चाहिए। ऐसे परीक्षणों की लागत आरएलडीसी या एसएलडीसी द्वारा उत्पादकों से वसूल की जाएगी। यदि आरएलडीसी / एसएलडीसी द्वारा आवश्यक समझा जाए, परीक्षण दो वर्षों में एक बार से अधिक किए जा सकेंगे।"

मूल विनियम के भाग 6 का संशोधन: 6.

- विनियम 6.4.2(ग), में ''सहित'' शब्द के स्थान पर, ''और' शब्द रखा जाएगा। (1)
- (2) मूल विनियम के भाग 6 के विनियम 6.5.3 में "8 बजे" शब्दों के स्थान पर, "6 बजे पूर्वाह्न" शब्द रखे जाएंगे।"
- मूल विनियम के भाग 6 के विनियम 6.5.4 में, "10 बजे" शब्दों के स्थान पर, "8 बजे पूर्वाहन" शब्द (3)रखे जाएंगे।"
- मूल विनियम के भाग 6 के विनियम 6.5.4 के पश्चात् नए खण्ड (4क), (4ख), (4ग), (4घ) और (4ङ) निम्नलिखित जोडे जाएंगे:

- "4(क) मूल हिताधिकारी बाजार में बिक्री के लिए अगले दिन की विद्युत की मात्रा और अवधि के बारे में प्रत्येक दिन 9.45 पूर्वाहन तक आईआईजीसी को अपनी सहमति भेजेगा।
- 4(ख) मूल हिताधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि और विनिर्दिष्ट मात्रा के लिए बाजार में विद्युत की बिक्री हेतु आईएसजीसी को स्थायी सहमति भी उपलब्ध करवा सकता है।
- 4(ग) आईएसजीसी, हिताधिकारी की स्पष्ट सहमित के बिना बाजार में उसकी विद्युत का विक्रय नहीं करेगा।
- 4(घ) हिताधिकारी को ऐसी विद्युत की अनुसूची की अनुमित नहीं होगी जिसके लिए आईएसजीएस को हिताधिकारी द्वारा सहमित दी गई है लेकिन यह उन मामलों को छोड़कर है जहां विद्युत द्विपक्षीय और सामूहिक संव्यवहारों के माध्यम से बिक्री के बाद आईएसजीएस के पास अभी भी उपलब्ध है।
- 4(ङ) आईएसजीएस, बाजार में बेचे गए व्यष्टिक हिताधिकारियों की विद्युत के शेयर के ब्योरों की सूचना आरएलडीसी को देगा।
- (5) मूल विनियम के भाग 6 के विनियम 6.5.3.19 के अंत में, पहले परन्तुक के रूप में निम्नलिखित उपबंध प्रथम परन्तुक के रूप में जोड़ा जाएगा:

"परन्तु यह कि उत्पादक या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी उत्पादन केन्द्र या उसके यूनिट (यूनिटों) से विद्युत का विक्रय करने वाली कोई अन्य एजेंसी दिन में एक बार अपनी प्राक्किलत बहाली को संशोधित कर सकता है और पुनरीक्षण अनुसूची टाइम ब्लाक को जिसमें उत्पादक द्वारा परामर्शित पुनरीक्षण पहला हो परिगणित करते हुए चौथी टाइम ब्लाक से प्रभावित होगी।"

7. मूल विनियम के विनियम 6.5 के पश्चात्, निम्नलिखित एक नया विनियम जोड़ा जाएगा:

"6.5 (क) आनुषंगिक सेवाओं के अधीन आदान—प्रदान की गई ऊर्जा का अनुसूचीकरण और वाणिज्यिक व्यवस्थापन जिसमें स्पीनिंग रिजर्व और यूआरएस भी है:

- (क) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आनुषंगिक सेवा प्रचालन) विनियम, 2015 में अनुसूचीकरण और प्रेषण, निकासी के विस्तृत फ्रेमवर्क, ऊर्जा लेखांकन और रिजर्व विनियम आनुषंगिक सेवाओं के वाणिज्यिक व्यवस्थापन की व्यवस्था है।
- (ख) स्पीनिंग रिज़र्व की दशा में, आदान—प्रदान की गई ऊर्जा का अनुसूचीकरण और वाणिज्यिक व्यवस्थापन पोसोको (एनएलडीसी) के परामर्श से, आयोग द्वारा, पृथक् रूप से अधिसूचित की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) आईएसजीएस द्वारा बाजार में मूल हिताधिकारियों के शेयर की बिक्री की दशा में, जिसके लिए सहमित दी गई है, वसूल किए गए अभिलाभों को 50:50 के अनुपात में या जैसा कि आगामी माह की बिलिंग में आईएसजीएस और संबंधित हिताधिकारी द्वारा पारस्परिक रूप से सहमित के रूप में आईएसजीएस हिताधिकारी के बीच शेयर किया जाए। इस अभिलाभ की संगणना, आकिस्मक व्यय सिहत ऐसे विद्युत और ईंधन प्रभार की विक्रय कीमत के बीच अंतर के रूप में की जाएगी:

परन्तु कि आईएसजीएस द्वारा विद्युत की ऐसी बिक्री के बिना प्रतिदेय ऊर्जा प्रभार की तुलना में उच्च औसत ऊर्जा प्रभार के रूप को शामिल करते हुए मूल हिताधिकारी (हिताधिकारियों) पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगाः

परन्तु यह और कि आईएसजीएस और हिताधिकारी (हिताधिकारियों) के बीच हानि की कोई शेयरिंग नहीं होगी:

परन्तु यह भी कि इस प्रकार के मामलों में नियत प्रभार का दायित्व, समय—समय पर, आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित मूल हिताधिकारी (हिताधिकारियों) के पास रहेगा।

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 18 / 17]

- टिप्पण : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिंड कोड) विनियम, 2010, भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4 में, संख्या 115 में तारीख 28.4.2010 को प्रकाशित किए गए थे तथा उनका निम्नलिखित रूप से संशोधन किया गयाः
- (क) शुद्धिपत्र, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड ४ में, संख्या १६८ में तारीख ३.७७.२०१० को प्रकाशित किया गया।
- (ख) परिशिष्ट, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग—III, खण्ड ४ में, क्रम संख्या १६८ में तारीख ३.७.२०१० को प्रकाशित किए गए।
- (ग) प्रथम संशोधन विनियम, 2012, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग—III, खण्ड 4 में, क्रम संख्या 60 में तारीख 6.3.2010 को प्रकाशित किए गए।
- (घ) द्वितीय संशोधन विनियम, 2014 भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग—III, खण्ड ४ में, क्रम संख्या ८ में तारीख 7.1.2014 को प्रकाशित किए गए।
- (ङ) शुद्धिपत्र, तारीख 21.2.2014 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग—III, खण्ड ४ में, क्रम संख्या ६४ में प्रकाशित किया गया।
- (च) तृतीय संशोधन विनियम, 2015 भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग—III, खण्ड 4 में, संख्या 271 में तारीख 10.8.2015 को प्रकाशित किए गए।
- (छ) चतुर्थ संशोधन विनियम, 2016 भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग—III, खण्ड ४ में, संख्या 162 में तारीख 29.4.2016 को प्रकाशित किए गए।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2017

No. L-1/18/2010-CERC.—In exercise of powers conferred under clause (h) of sub-section (1) of Section 79 read with clause (g) of sub-section (2) of Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 including the first to fourth amendments thereof (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:-

1. Short title and commencement

- (1) These regulations shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (Fifth Amendment) Regulations, 2017.
- (2) These regulations shall come into force with effect from 1st May, 2017.

2. Amendment of Regulation 2 in General Part of Principal Regulations

- (1) In Regulation 2(1)(sss) of General Part of Principal Regulations, the definition of 'Spinning Reserves' shall be substituted as under:
 - (sss) Spinning Reserve means: "the Capacities which are provided by devices including generating station or units thereof synchronized to the grid and which can be activated on the direction of the System Operator and effect the change in active power."
- (2) Regulation 2(2) of General Part of the Principal Regulations shall be substituted as under:
 - "Words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Act or other relevant Regulations of the Commission shall have the meaning as assigned to them under the Act or relevant Regulations of the Commission."
- 3. Amendment in Part 1 of Principal Regulations- The following provision shall be added at the end of Regulation 1.4 (v) of Part 1 of the Principal Regulations

"This section will also cover scheduling and despatch of power of ISGSs for operation of Ancillary Reserve Services, for utilization of Un-requisitioned surplus power and for operation of Spinning Reserves with the process of the flow of information between the Generating Stations, National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centre, Power Exchanges, the State Load Despatch Centres and other concerned users."

4. Amendment in Part 2 of Principal Regulations

- (1) Regulation 2.2.2(i) Part 1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:
 - "(i) NLDC shall be the nodal agency for collective transactions and Ancillary Services including Spinning Reserves."
- (2) The following shall be added as Regulation 2.2.2(iii) after Regulation 2.2.2(ii) of Part 2 of the Principal Regulation as under:
 - "(iii) Coordination with ISGSs, Regional Load Dispatch Centers, State Load Dispatch Centers and Regional Power Committees for implementation of Ancillary services, prudent utilization of Unrequisitioned power, and identification and operation of Spinning Reserves at inter-State level as per Detailed Procedure and Regulations specified by the Commission."
- (3) Regulation 2.3.2(g) of Part 1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:
 - "(g) Operation of Ancillary Services including Spinning Reserves."
- (4) The following provision shall be added as Regulation 2.4.2 (i) and (j) after Regulation 2.4.2(h) of Part 2 of the Principal Regulations:
 - "(i) To perform the functions as mandated under the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services Operation) Regulations, 2015.
 - (j) To maintain the accounts of energy transacted under Ancillary Services Operation including Spinning Reserves."

5. Amendment in Part 5 of the Principal Regulations:

- (1) In Regulation 5.2(f) of Part 5 of the Principal Regulations, the words: "All thermal generating units of 200 MW and above and all hydro units of 10 MW and above" shall be substituted with words "All Coal/lignite based thermal generating units of 200 MW and above, Open Cycle Gas Turbine/Combined Cycle generating stations having gas turbines of capacity more than 50 MW each and all hydro units of 25 MW and above".
- (2) In Regulation 5.2(f)(i)(a) of Part 5 the Principal Regulations, the words "Thermal generating units" shall be substituted with words "Coal/lignite based thermal generating units."
- (3) In Regulation 5.2(f)(i)(b)of Part 5 of the Principal Regulations, the word and number "10 MW" shall be substituted with the word and number "25 MW".
- (4) The following clause shall be added after Regulation 5.2(f)(i)(b) of Part 5 of the Principal Regulations:
 - "(c) Open Cycle Gas Turbine/Combined Cycle generating stations having gas turbines of capacity more than 50 MW each: with effect from 01.10.2017"
- (5) Regulation 5.2(f)(ii)(a) of Part V of the Principal Regulations shall be substituted as under:
 - "(a) There should not be any reduction in generation in case of improvement in grid frequency to a level below 50.00 Hz. (For example, if grid frequency changes from 49.9 to 49.95 Hz, or from 49.95 to 49.99 Hz there shall not be any reduction in generation). For any fall in grid frequency, generation from the unit should increase as per generator droop upto a maximum of 5% of the generation subject to ceiling limit of 105% of the MCR of the unit having regard to machine capability".
- (6) In Regulation 5.2(f)(iii) of Part 5 of the Principal Regulations, the words "Gas Turbine/Combined Cycle Power Plants" shall be deleted.
- (7) The first sentence of Regulation 5.2(h) of Part 5 of the Principal Regulations, shall be substituted as under:
 - "All coal/lignite based thermal generating units of 200 MW and above, Open Cycle Gas Turbine/Combined Cycle generating stations having gas turbines of more than 50 MW each and all hydro units of 25 MW and above operating at or up to 100% of their Maximum Continuous Rating (MCR) shall have the capability of (and shall not in any way be prevented from) instantaneously picking up to 105%, 105% and 110% of their MCR, respectively, when the frequency falls suddenly."
- (8) The following shall be added at the end of Regulation 5.2 (h) of Part 5 of the Principal Regulations:
 - "For the purpose of ensuring primary response, RLDCs/SLDCs shall not schedule the generating station or unit(s) thereof beyond ex-bus generation corresponding to 100% of the Installed capacity of the generating station or unit(s) thereof. The generating station shall not resort to Valve Wide Open (VWO)

operation of units whether running on full load or part load, and shall ensure that there is margin available for providing Governor action as primary response. In case of gas/liquid fuel based units, suitable adjustment in Installed Capacity should be made by RLDCs/SLDCs for scheduling in due consideration of prevailing ambient conditions of temperature and pressure vis-à-vis site ambient conditions on which installed capacity of the generating station or unit(s) thereof have been specified:

Privided that scheduling of hyfro stations shall not be reduced during high inflow period in order to avoid spillage:

Provided further that the VWO margin shall not be used by RLDC to schedule Ancillary Services."

(9) The following proviso shall be added at the end of Regulation 5.2 (g) of Part 5 of the Principal Regulations:

"Provided that periodic checkups by third party should be conducted at regular interval once in two years through independent agencies selected by RLDCs or SLDCs as the case may be. The cost of such tests shall be recovered by the RLDCs or SLDCs from the Generators. If deemed necessary by RLDCs/SLDCs, the test may be conducted more than once in two years."

6. Amendment of Part 6 of the Principal Regulations:

- (1) In Regulation 6.4.2(c), the word "including" shall be substituted by the word "and".
- (2) In Regulation 6.5.3 of the Part 6 of the Principal Regulations, the words "8 AM" shall be substituted by words "6 AM".
- (3) In Regulation 6.5.4 of Part 6 of the Principal Regulations, the words "10 AM" shall be substituted by words "8 AM".
- (4)New Clauses (4a), (4b), (4c) and (4d) shall be added after Regulation 6.5.4 of Part 6 of the Principal Regulations as under:
 - "4(a) The original beneficiary shall communicate its consent to the ISGS by 9.45 AM each day about the quantum and duration of power for next day for sale in the market.
 - 4(b) The original beneficiary may also provide a standing consent to the ISGS for sale of power in the market for specified duration and specified quantum.
 - 4(c) The ISGS shall not sell the power of any beneficiary in the market without its express consent.
 - 4(d) The beneficiary shall not be allowed to schedule the power for which consent has been given by the beneficiary to the ISGS except in cases where power is still available with the ISGS after sale through bilateral and collection transactions.
 - 4(e) The ISGS shall intimate the details of the share of power of individual beneficiaries sold in the market to the respective RLDC.
 - (5) The following provision shall be added as first proviso at the end of Regulation 6.5.3.19 of Part 6 Principal Regulation:

"Provided that the generator or trading licensee any other agency selling power from the generating station or unit(s) thereof may revise its estimated restoration time once in a day and the revision schedule shall become effective from the 4th time block, counting the time block in which the revision is advised by the generator to be the first one."

- 7. A New Regulation shall be added after Regulation 6.5 of the Principal Regulations as under:
 - "6.5 (A) Scheduling and commercial settlement of energy exchanged under Ancillary services including Spinning Reserves and URS:
 - (a) The Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services Operations) Regulations, 2015 provides detailed frame work of scheduling and despatch, withdrawal, energy accounting and commercial settlement of Reserves Regulation Ancillary Services.
 - (b) In case of spinning reserves, the scheduling and commercial settlement of energy exchanged shall be as per the Detailed Procedure to be notified separately by the Commission in consultation with POSOCO (NLDC).
 - (c) In case of sale of share of original beneficiaries in market by ISGS for which consent has been given, the realized gains shall be shared between the ISGS and the concerned beneficiary in the ratio of 50:50 or as mutually agreed by the ISGS and concerned beneficiary in the billing of the

following month. This gain shall be calculated as the difference between selling price of such power and fuel charge including incidental expenses.

Provided that such sale of power by ISGS shall not result in any adverse impact on the original beneficiary(ies) including in the form of higher average energy charge vis-à-vis the energy charge payable without such sale:

Provided further that there shall be no sharing of loss between the ISGS and the beneficiary(ies):

Provided also that, the liability of fixed charge in such cases shall remain with original beneficiary(ies) as determined in accordance with the Tariff Regulations notified by the Commission from time to time.

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.-III/4/.Exty./18/17]

Note: Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 were notified in Part III, Section 4 No. 115 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 28.4.2010 and amended vide:-

- (a) Corrigendum published in Part III, Section 4, No. 168 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 03.07.2010.
- (b) Addendum published in Part III, Section 4, No. 168 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 03.07.2010.
- (c) First Amendment Regulations, 2012 published in Part III, Section 4, No. 60 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 06.03.2010.
- (d) Second Amendment Regulations, 2014 published in Part III, Section 4, No. 08 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 07.01.2014.
- (e) Corrigendum published in Part III, Section 4, No. 64 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 21.2.2014.
- (f) Third Amendment Regulations, 2015 published in Part III, Section 4, No. 271 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 10.08.2015
- (g) Fourth Amendment Regulation, 2016 published in Part III, Section 4, No. 162 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 29.04.2016